52010902
5/12/2011

हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नि0—III)

संख्याः पीईआर (एपी)—सी—ए (3)—8/2010. तारीख शिमला—2, 21—5—2011.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में निजी सहायक, (वर्ग—II, अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—'क' के अनुसार सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग निजी सहायक, (वर्ग—II, अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

(2) यह नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे :

परन्तु ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे :

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय—समय पर जारी निजी सहायक के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमों में उपबंधित सीधी भर्ती और प्रोन्नति की पद्धति प्रवृत्त नहीं रहेगी ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः पीईआर (एपी)—सी—ए (3)—8/2010. तारीख शिमला—2, 21—5—2011.

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002.
2. सभी मण्डलायुक्त हिमाचल प्रदेश।
3. सभी विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
4. सभी उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
5. सचिव, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग, शिमला—2 को उनके पत्र संख्या 8—1/92—पी0एस0सी0—पार्ट, दिनांक 31 मार्च, 2011 के सन्दर्भ में।
6. सचिव, हि0प्र0 अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड हमीरपुर।
7. संयुक्त विधि सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2.
8. 250 अतिरिक्त प्रतियां।

उप सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

*****

3/12/2011
Smt Vandana

उपाबन्ध—"क"

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में निजी सहायक, वर्ग–II (अराजपत्रित) के पद के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नाम :	निजी सहायक
2	पदों की संख्या :	जैसी सम्बद्ध विभाग में सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर की गई है और मंजूर की जाएगी।
3	वर्गीकरण :	वर्ग –II (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं
4	वेतनमान :	पे बैण्ड :10300–34800/- रूपए जमा 4200/- रूपए ग्रेड पे।
5	"चयन" पद अथवा "अचयन" पद :	अचयन।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु :	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा व ऐसा न होने पर सैकन्डमेंट आधार पर।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा :	सम्बद्ध विभागों के वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का संयुक्तत: ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में चार वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य होना चाहिए, दोनों के न होने पर कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 16 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 16 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से समरूप वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I:— उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II :— उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल।
3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के मलाड़–मलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच–बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे ;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

-3-

<u>स्पष्टीकरण</u>:— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत् वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत् वरीयता लाभ दिए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	लागू नहीं।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	लागू नहीं।
16	आरक्षण :	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा :	लागू नहीं।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

(Authoritative English Text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-8/2010 dated 21-5-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-A (3)- 8 /2010 Dated: Shimla-171002, 21st May, 2011.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Personal Assistant, (Class-II, Non-Gazetted, Ministerial Services) in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

Short title, commencement and application.

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Personal Assistant, (Class-II, Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of State of Himachal Pradesh :

Provided that these Rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/ High Court of H.P.

The method of direct recruitment and promotion provided in Direct Recruitment and Promotion Rules for the posts of Personal Assistant under various Departments of the Himachal Pradesh Government issued, from time to time, shall cease to operate.

By order

Principal Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Per (AP)-C-A (3)-8 /2010 Dated : Shimla-171002, 21st May, 2011.

Copy forwarded to:-

1. All the Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Additional Secretaries/ Deputy Secretaries/ Under Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
3. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
4. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
5. Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2 with reference to their letter No. 6-1/92-PSC-Part, Dated: 31.03.2011..
6. Secretary, H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
7. Joint Legal Rememberancer-cum-Joint Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh.
8. 250 spare copies.

Deputy Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-"A"

Common Recruitment & Promotion Rules for the posts of Personal Assistant (Class-II, Non Gazetted) in various Departments of Himachal Pradesh Government.

1.	Name of Post :	Personal Assistant
2.	Number of Posts :	As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.
3.	Classification :	Class-II (Non-Gazetted) Ministerial Services
4.	Scale of Pay :	Pay band Rs.10300-34800+4200 Grade Pay.
5.	Whether "Selection" : Post or "Non-Selection" Post	Non-Selection.
6.	Age for Direct Recruitment :	N.A.
7.	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment	N.A.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees	Age : } N.A. Educational Qualifications } N.A.
9.	Period of Probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods	100% by promotion failing which on secondment basis.
11.	In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer is to be made	By promotion from amongst the Senior Scale Stenographers of concerned Departments who possess 6 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Senior Scale Stenographers with 11 years regular service or

regular combined with continuous adhoc service combined as Senior Scale Stenographer/Junior Scale Stenographer out of which four years essential service as Senior Scale Stenographer, failing both by promotion from amongst the Junior Scale Stenographers possessing 16 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation :

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:-For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II:- For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:-The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:	As may be constituted by the Govt. from time to time.
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment:	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment:	N.A.
15	Selection for appointment to the post by direct recruitment;	N.A.

-4-

16	**Reservation:**	**The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.**
17	**Departmental Examination:**	**Not Applicable.**
18	**Power to Relax:**	**Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).**

*****